

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :-108/2018 रे.वाद (2018/00465)
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 04.07.2018

शीर्षक

मेताबी पत्नि रामा भील निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. देवीलाल आत्मज रूपा भील
2. लोभा आत्मज रूपा भील
3. हीरा आत्मज रूपा भील
4. प्रहलाद आत्मज नारु भील

सर्व निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण


उपस्थिति :- अधिवक्ता वादी:- श्री एम0एस0 चुण्डावत
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 22.02.2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 15.11.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या एक से 03 एवं मृतक मु0 लाली बेवा नारु भील के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1635 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 1636 रकबा 0.04 हे0, आराजी संख्या 1638 रकबा 0.11 हे0 गे0मु0 पाल नाडी, आराजी संख्या 1639 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 1640 रकबा 0.01 हे0 गे0मु0 चाह, 1641 रकबा 0.06 हे0, 1652 रकबा 0.27 हे0, 1653 रकबा 0.90 हे0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.33 हे0 भूमि खाता संख्या 104 अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 पर स्थित का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा पत्रांक/पी0डी0/2019/225 दिनांक 21.08.2020 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या एक से 03 एवं मृतक मु0 लाली बेवा नारु भील के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1635 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 1636 रकबा 0.04 हे0, आराजी संख्या 1638 रकबा 0.11 हे0 गे0मु0 पाल नाडी, आराजी संख्या 1639 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 1640 रकबा 0.01 हे0 गे0मु0 चाह, 1641 रकबा 0.06 हे0, 1652 रकबा 0.27 हे0, 1653 रकबा 0.90 हे0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.33 हे0 भूमि खाता संख्या 104 अन्य आराजियात के साथ जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 पर स्थित का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा स्वीकार है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	मेताबी पत्नि रामा भील सा. देह खातेदार	सल्यावड़ी (खाता संख्या 104)	1653/2	0.33
		योग	1	0.33
2	काली पत्नि स्व0 हीरा 5/84 गोपाल रतनलाल सोहनलाल पिता हीरा 15/84 भेरी राधा सीता पुत्रिया हीरा 15/84 देवीलाल पुत्र रुपा 7/24 लाली पत्नि स्व0 नारु 7/24 भील सा0 देह खातेदार	सल्यावड़ी (खाता संख्या 104)	1635 1636 1637 1638 1639 1641 1652 1653/1	0.06 0.04 0.64 0.11 0.24 0.06 0.27 0.57
		योग	8	1.99
3	समलाती बदस्तुर खाता 103 अनुसार	सल्यावड़ी (खाता संख्या 104)	1640	0.01
		योग	1	0.01

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3
(विकास मंचोली)
सहायक कलेक्टर (उपरखण्ड अधिकारी)
उपरखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा
सहायक सहायक कलेक्टर पदेन
उपरखण्ड उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा
गंगापूर जिला भीलवाड़ा 2

मूल वाद में डिक्री
 न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
 पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)
 प्रकरण संख्या :-108/2018 रे.वाद (2018/00465) दर्ज दिनांक 04.07.2018
 अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

मेताबी पत्नि रामा भील निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. देवीलाल आत्मज रूपा भील
2. लोभा आत्मज रूपा भील
3. हीरा आत्मज रूपा भील
4. प्रहलाद आत्मज नारु भील
सर्व निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता वादी:- श्री एम0एस0 चुण्डावत
पैरोकार सरकार


निर्णय दिनांक : 22.02.2021

डिक्री दिनांक : 22.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री एम0एस0 चुण्डावत एवं पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	मेताबी पत्नि रामा भील सा. देह खातेदार	सल्यावड़ी (खाता संख्या 104)	1653/2	0.33
		योग	1	0.33



 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

2	काली पत्नि स्व० हीरा 5/84 गोपाल रतनलाल सोहनलाल पिता हीरा 15/84 भेरी राधा सीता पुत्रिया हीरा 15/84 देवीलाल पुत्र रुपा 7/24 लाली पत्नि स्व० नारु 7/24 भील सा० देह खातेदार	सल्यावडी (खाता संख्या 104)	1635	0.06
			1636	0.04
			1637	0.64
			1638	0.11
			1639	0.24
			1641	0.06
			1652	0.27
			1653/1	0.57
	योग	8	1.99	
3	समलाती बदस्तुर खाता 103 अनुसार	सल्यावडी (खाता संख्या 104)	1640	0.01
	योग	1	0.01	


नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत्
..... Nilखर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक Nilका अदा
करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.02.2021 को जारी किया
गया।




(सिंहसिंह जयचौहान)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अदालत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
हुक्मनामा	-		मुनफरिक	-	
मुनफरिक		मीजान			


सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अदालत)
उपखण्ड अधिकारी (गंगापूर)
गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)